कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।

Phone-0122-2300150 Fax-0122-2300150 E-mail-dfohapur@gmail.com

पत्रांक 48 /14–1, दिनांक, हापुड़, 05, जुलाई, 2022.

सेवा में,

श्री अजय त्यागी,
उपाध्यक्ष, इन्द्रप्रस्थ गैस लि0, आई0जी0एल0,
भवन प्लाट नं0 4, कम्युनिटी सेन्टर,
आर0 के पुरम्, सेक्टर– 9, नई दिल्ली।

विषयः जनपद हापुड़ में Indrprastha Gas Ltd project for laying of 8" NB Carbon Steel Gas pipeline 125 MMMDPE & 50mm Duct in same trench along old NH 24 (Hapur city area(Left side) from Km 49.800 to Km 54.00 & Nh 235(Meerut-Hapur Road)(Left side) From KM. 28.500 to Km 31.300 Total Km.7.00 & 0.3500) हे0संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0 एफपी/यूपी/पाईप लाईन/148454/2021)

सन्दर्भः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या– पी–91/81–2–2022–800 (95)/2021, दिनांक 07.07.2022।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

1. सम्बन्धित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नही किया जायेगा। (सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें)
2. सी0एन0जी0/पी0एन0जी0 पाइपलाइन/मार्गो/सडको/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे–किनारे ही बिछाये जायेंगे। (सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें)
3. सी0एन0जी0/पी0एन0जी0 पाइपलाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौडाई 1.00 मीटर से अधिक न हो।(सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें)
4. प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू–क्षरण की सम्भावना न हो। (सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें)
5. प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।
6. वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनो व पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी। (सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें)
7. प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
8. भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नही दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा। (सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें)
9. प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या– 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या– 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority) में 0.3500 हे0 हेतु 957780.00 प्रति हे0 की दर से रू0 3,35,223.00 E-Payment Portal के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली में जमा कराकर ऑनलाईन चालान एवं पुष्टि इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

Scanned with CamScanner

10. प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू–स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना है (सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें)
11. प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो। (सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें)
12. भारत सरकार के पत्र संख्या– 5–3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या– 11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02.12.2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि दन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है। (सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें)
13. प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित हित प्रभावित नही होते है। (सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें)
14. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11–9/98–एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया। (सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें)
15. यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चूरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है। (सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें)
16. समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। (सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें)
17. परियोजना में 12 इंच (125 एमएम) गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा। (सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें)
18. राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार होगा :–
    1. सी0एन0जी0/गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियां, जो लगातार गैस पाइप लाइन बिछाती है तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अन्तर्शहरीय, शहर से ग्रामीण, अन्तर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है, उस कम्पनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत लागू रहेगी। (सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें)
    2. ऐसी कम्पनियां, जो गैस पाइप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाती है, अर्थात् जिसका दायरा एक शहर होता है, उस कम्पनी को भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत सामान्यतया दुगुने अवनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक के रख–रखाव के लिये निर्देशित धनराशि के समतुल्य धनराशि अतिरित रूप से उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तो के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किया जायेगा। इस धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जायेगा। (सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें)
19. उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा। (सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें)

(हस्ताक्षर) 03/7/22
प्रभागीय वनाधिकारी,
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।

पत्रांक : 48 /1ख1 दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–
1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।

E:/Joshi Jii/Shri Arun Kumar Verma, IGL, Gzb

(हस्ताक्षर) 03/7/22
प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग
हापुड़

Scanned with CamScanner